

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-रुक्मणि रियार सिहाग,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-61/2023 विविध (धारा 14 सिक्वोरिटाइजेशन)

बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाइनेंस लिमिटेड) शाखा कार्यालय प्लॉट नं. 10, दुर्गा कॉलोनी प्रथम तल शिवप्रभा कॉम्प्लैक्स गंगानगर रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये प्राधिकृत अधिकारी भूपेन्द्र सिंह।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री हनुमान सोनी पुत्र श्री लिलाधर सोनी
पता 1:-फ्लैट नं. E-4A (Ground floor) नरेन्द्र होम्स, रतनपुरा संगरिया
जिला हनुमानगढ़, राजस्थान-335063।
पता 2:-वार्ड नं. 19, हनुमान कॉलोनी, पॉवर हाउस के सामने, संगरिया
जिला हनुमानगढ़ राजस्थान-335063।
2. श्रीमती मनीषा सोनी पत्नी हनुमान सोनी
पता 1:-फ्लैट नं. E-4A (Ground floor) नरेन्द्र होम्स, रतनपुरा संगरिया
जिला हनुमानगढ़, राजस्थान-335063।
पता 2:-वार्ड नं. 19, हनुमान कॉलोनी, पॉवर हाउस के सामने, संगरिया
जिला हनुमानगढ़ राजस्थान-335063।

—अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश

दिनांक:-27.12.2023

प्रार्थी बंधन बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री जयपाल झौरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाइनेंस लिमिटेड), जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित एक कम्पनी है और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत अपना बैंकिंग व्यवसाय चला रही है, जिसका पंजीकृत कार्यालय-डी.एन. 32, सैक्टर-वी सॉल्ट लेक सिटी, कलकता पश्चिम बंगाल-700091 में स्थित एवं कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय प्लॉट नं. 10, दुर्गा कॉलोनी प्रथम तल शिवप्रभा कॉम्प्लैक्स-हनुमानगढ़ में स्थित एवं कार्यरत है जिसके प्राधिकृत अधिकारी भूपेन्द्र सिंह है।

प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 24.11.2017 को जरिये ऋण खाता संख्या 712/450 में ऋण राशि 6,00,000/- रुपये का ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज पुनर्भुगतान सिक्वोरिटी के रूप में अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति :-फ्लैट नं. E-4A (EWS Group Scheme 1 BHK) भू-तल (प.नं. 188/188 के किला नं. 11, 20 और 21 चक नं. 3 आरपीटी-द्वितीय) नरेन्द्र होम्स, रतनपुरा संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका

कुल क्षेत्रफल 374 वर्गफीट अर्थात 34.75 वर्गमीटर है, जो कि श्री मनीषा सोनी के नाम से है, को आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 06.05.2022 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 712/450 में कुल बकाया देय ऋण राशि 6,22,241.90/- रुपये दिनांक 28.10.2023 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे आदि बकाया निकलते हैं।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांकित 29.10.2022 को मांग सूचना नोटिस प्रेषित किये गये थे, परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित बकाया देय ऋण राशि कोई प्रतिसंदाय प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया रकम न तो अदा की और न बंधकशुदा सम्पत्ति का प्रार्थी बैंक को कब्जा दिया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी आवासीय सम्पत्ति :-फ्लैट नं. E-4A (EWS Group Scheme 1 BHK) भू-तल (प.नं. 188/188 के किला नं. 11, 20 और 21 चक नं. 3 आरपीटी-द्वितीय) नरेन्द्र होम्स, रतनपुरा संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 374 वर्गफीट अर्थात 34.75 वर्गमीटर है, जो कि श्री मनीषा सोनी के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़